न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 171 / 2023 GCMS No.—2022/54

1. चन्दालाल रैगर पुत्र स्व. श्री कानाराम जाति हिंदू
2. गोपाल रैगर पुत्र श्री मांग्या उर्फ मांगूराम जाति हिन्दू,
3. श्रीमती कल्ली देवी पत्नी स्व0 श्री कजोडमल रैगर, जाति हिन्दू
4. कालू रैगर पुत्र स्व0 कजोडमल रैगर, जाति हिन्दू,
   निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल निवासीयान 177, न्यू कॉलोनी, नाई की थडी, आमेर, जयपुर राज0।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. विजय कुमार जाटावत पुत्र श्री बाबूलाल जाटावत, निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. गोपाल मीणा पुत्र स्व0 श्री प्रभात मीणा, जाति हिंदू, निवासी दरोगा की कोठी, प्रताप नगर, नाई की थडी, जयपुर।
3. रमेश चंद शर्मा (कांजला) पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर निवासी ग्राम सायपुरा बस स्टैण्ड, जमवारामगढ रोड, आमेर ,जयपुर।
4. ग्राम पंचायत सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये तत्कालीन ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी)
5. वर्तमान सरपंच श्रीमती सुनीता पत्नी श्री रूपेश शर्मा, हाल सरपंच ग्राम पंचायत सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 बाबत खारिज किये जाने आदेश दिनांक 10.07.2018 जिसके तहत पट्टा संख्या 3 बुक संख्या 19 के विरूद्ध निगरानी।

उपस्थितः–

1. श्री नरेश कुमार सैनी निगरानीकार की ओर से।
2. श्री हरीनारायण गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर सें

निर्णय दिनांकः 25.06.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सायपुरा, पं.स. जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 विजय कुमार जाटावत पुत्र श्री बाबूलाल जाटावत निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के पक्ष में संकल्प संख्या 2(2) दिनांक 05.06.2018 की पालना में आदेश दिनांक 10.07.2018 द्वारा पट्टा संख्या 3 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.01.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीनारायण उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 4 की ओर से नरसीलाल उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2,3 एवं 5 को रजि0 नोटिस जारी किये गये थे। गैर निगरानीकार संख्या 2, 3 एवं 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल पट्टा पत्रावली ग्राम

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पंचायत द्वारा प्रस्तुत निगरानी में शामिल मिसल है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 05.06.2018 को विपक्षी संख्या 3 व 4 के समक्ष झूठे व फर्जी तथ्यों के आधार पर आधारित आवेदन पत्र पट्टा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर विपक्षी संख्या 3 व 4 ने मनमर्जी पूर्वक प्रकिया अपनाकर विधि विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निगरानीकार के स्वामित्व व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि का पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त पट्टे की भूमि पर निगरानीकार अपने बुजुर्गान के समय से निवास कर रहे है। विपक्षी संख्या 3 व 4 ने उक्त कृषि भूमि के बाबत पट्टा जारी करते समय ना तो कब्जे के बाबत व ना ही राजस्व रिकॉर्ड के बाबत किसी प्रकार से कोई जांच की गयी। उक्त पट्टा जारी करने की भूमि पर आज भी निगरानीकार का ही कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों के विपरीत जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में हल्का पटवारी रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं है जिससे जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी है। गैर निगरानीकार ने आवेदन में मिथ्या तथ्य अंकित कर पट्टा प्राप्त कर लिया जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वार्डपंचगण द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है वह नियमानुसार उचित नहीं है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में गवाहों के पते सही अंकित नहीं है एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के भाई द्वारा ही शपथ पत्र दिया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज हुयी जिसमें उसने स्वयं बयान दिया है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 अमन विहार कॉलोनी में एक प्लाट खरीदा था एवं उसी का पट्टा पंचायत से निःशुल्क प्राप्त कर लिया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा दिया गया है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 के पास पूर्व से ही चार प्लाट है। पट्टे के आवंटन में कब्जा दस वर्ष का बताया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही उचित नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सायपुरा, पं.स. जमवारामगढ के आदेश दिनांक 10.07.2018 द्वारा गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 3 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों अनुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। निगरानीकार के किस खसरा नंबर की भूमि में पट्टा जारी किया गया है इसका उल्लेख निगरानीकार द्वारा नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

तहत सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए नियमानुसार वार्ड पंच कमेटी गठित की एवं वार्ड पंच गण की रिपोर्ट आने पर जरिये अखबार आपत्ति नोटिस जारी कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। यदि निगरानीधीन पट्टे की भूमि निगरानीकार के स्वामित्व की है तो निगरानीकार को बेदखली का दावा किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की सम्पूर्ण पालना करते हुए पट्टा जारी किया है। निगरानीकार ने सारहीन तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.04.2018 को मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंच गण की कमेटी गठित की तथा वार्डपंचगणो द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किया गया एवं दिनांक 20.04.2018 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 10.07.2018 को गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 3 जारी किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने उज्र पेश किया है कि निगरानीकार की खातेदारी कृषि भूमि में से गैर निगरानीकार संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टा जारी करते समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया है जबकि पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 के अनुसार भूमिहीन व्यक्तियों को रियायती दर पर पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति हो। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर में दिये गये बयान की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें गैर निगरानीकार द्वारा विवादित प्लाट सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति से क्रय किया जाना एवं ग्राम पंचायत से निःशुल्क पट्टा प्राप्त करना जाहिर किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में सीमा ज्ञान संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तोवज उपलब्ध नहीं है साथ ही पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किये जाने गैर निगरानीकार संख्या 1 की पात्रता की जांच नहीं किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियमो 1996 की अवहेलना किये जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सायपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा संकल्प संख्या 2(2) दिनांक 05.06.2018 की अनुपालना में आदेश दिनांक 10.07.2018 से गैर निगरानीकार संख्या 1 विजय कुमार जाटावत पुत्र श्री बाबूलाल जाटावत निवासी चावण्ड का मंड जमवारामगढ के हक में जारी पट्टा संख्या 3 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सायपुरा पं.स. जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, सक्षम राजस्व अधिकारी से सीमा ज्ञान करवाने के पश्चात ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि के संबंध में राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर